अज अदालत [illegible]

भंवर नाथ पिता मोहन नाथ नि. उँचा वगैराह बनाम संरपच ग्राम पंचायत उँचा वगैराह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 212 आर टी ए . मुकदमा नं. 08 /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
02.06.20	प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण ने मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रार्थीगण एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अतः ग्राम उँचा प. ह. उँचा तह. जहाजपुर की आराजी नं0 899 रकबा 0.07 बीघा में आगामी तारीख 09.09.2020 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अप्रार्थीगण को नोटीस जारी हो। पत्रावली आगामी दिनांक 09.09.2020 को पेश हो। 09-08-2020 [signature] उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)	
08/6/20	सरपंच ग्राम पंचायत ऊँचा एवं उनके अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रकरण में बाहर शीघ्र सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पत्रावली [illegible] से तलब की गई। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया की प्रकरण में ~~[illegible]~~ [illegible] मामला शीघ्र सुनवाई करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का स्वीकार किया जाता है और पत्रावली को समय पर [illegible] दिनांक 10.6.20 को सुनवाई हेतु पत्रावली दि. 10.6.20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर जहाजपुर (भीलवाड़ा) जहाजपुर (भीलवाड़ा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 14:02:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
10/6/20	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शा. मि. किया गया। वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र आपत्तियां बाबत जवाब का प्रस्तुत किया। जिसकी नकल वकील अप्रार्थीगण को दी जाकर शा. मि. किया गया। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। जिन्हें शा. मि. किये गये। वकील उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के संलग्न हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.09.04 14:02:55 IST
Reason: SelfAttested